# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर)

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 90/2021 (2021/90)**

1. मु. छगन कंवर पत्नी श्री देवी सिंह राजपूत, आयु वर्ष, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
2. जगपाल सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत, आयु वर्ष, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत, आयु बालिग निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
4. गजराज सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत, आयु बालिग वर्ष, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
5. भगवान सिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत, आयु बालिग वर्ष, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. चन्द्रभान पुत्र श्री भंवरलाल निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान ।
2. अर्जुन पुत्र श्री हरकरण गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
3. नोरत पुत्र श्री हरकरण गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
4. बीवाराम पुत्र श्री हरकरण गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
5. हजारी पुत्र श्री हरकरण गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
6. कालू पुत्र श्री भारमल गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
7. देवा पुत्र श्री भारमल गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
8. मेवा पुत्र श्री भारमल गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान ।
9. सरदार पुत्र श्री छोटू गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान।
10. करतार पुत्र श्री छोटू गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान ।
11. मस्तार पुत्र श्री छोटू गुर्जर, निवासी ग्राम भोजियावास, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान ।
12. चेतार पुत्र श्री छोटू गुर्जर नाबालिग जरिये पिता श्री छोटू गुर्जर।
13. रेतार पुत्र श्री छोटू गुर्जर नाबालिग जरिये पिता श्री छोटू गुर्जर।
14. तहसीलदार किशनगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

## निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 17/06/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार
वकील अप्रार्थी श्री गोविन्द दास पुरोहित

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री महावीर मालाकर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्राथीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 ग्राम भोजियावास के स्थायी निवासी है जिनका मुख्य कार्य कृषि व पशुपालन का हैं। प्राथीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की पैतृक निम्न ख. न. की कृषि भूमि ग्राम भोजियावास तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसका नजरी नक्शा संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का अंग हैं।

| सेटलमेंट ख.न. | एकीकरण ख.न. | वर्तमान ख.न. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 482 | 221 | 491 | 4 बिस्वा (चाह) |
| 480 | 222 | 492 | 9 बीघा 6 बिस्वा |
| 481 मि. | | | |
| 483 | | | |
| 486 | | | |
| | | योग – 9 बीघा 10 बिस्वा | |

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की वर्तमान ख. न. 490 व पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 06 से 13 की पुराने ख. न. 210 वर्तमान ख. न. 474 व 489 की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के आगे मुख्य राष्ट्रीय मार्ग स्थित हैं। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि कार्य करने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 13 की कृषि भूमि ख. न. 474 व 489 में असैंदराज से अवस्थित है जिसे नजरी नक्शे में वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ. दर्शाया गया है। जो ख. न. 474 की दक्षिण सीमा व ख. न. 475 की उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। ख० नं० 474 की भूमि अप्रार्थी नं० 9 से 13 की खातेदारी की है एवं ख०नं० 475 की भूमि अप्रार्थी स० 1 की भूमि है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण उक्त करीबी वादग्रस्त ए.बी. सी.डी.ई.एफ. कच्चे रास्ते को असैंदराज से कृषि उपज को लाने व ले जाने के लिए उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त करीबी कच्चे रास्ते वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ. अर्जे दराज से उपयोग उपभोग करने के कारण विधि अनुसार अधिकार परिपक्व हो गया हैं। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु उक्त वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ. कच्चे रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर स्थित नही हैं। अप्रार्थी संख्या 6 से 11 ने एक राय होकर दिनांक 05.12.2020 को उक्त करीबी कच्चे रास्ते को नजरी नक्शे में दर्शित x स्थान पर कांटों की एंव मिट्टी की डोल लगाकर बंद कर दिया। प्रार्थीगण ने मौके पर आकर दिनांक 05.12. 2020 को आपत्ति की । अप्रार्थी संख्या 6 से 11 ने प्रार्थीगण को अवगत कराया कि वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ. रास्ता राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज नही है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते पर आने जाने का कानूनन् कोई अधिकार नही हैं। अप्रार्थी संख्या 6 से 11 की उक्त अवैध व अनाधिकृत कार्यवाही से प्रार्थीगण को कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो गयी है। अप्रार्थी

संख्या 6 से 11 को उक्त कभी भी वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ. कच्चे रास्ते को बंद करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 6 से 11 द्वारा अवरूद्ध किये गये कभी भी वादग्रस्त ए.बी.सी. डी. ई.एफ. कच्चे रास्ते को पुनः खुलवाया जाना आवश्यक है एवं वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. एफ. कच्चे रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक हैं। अप्रार्थी संख्या 14 भूमि धारक (Land Holder) है इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 6 से 11 ने एक राय होकर वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. एफ. कच्चे कृषि रास्ते को x स्थान पर मिट्टी एवं कांटो की बाड़ लगाकर दिनांक 05.12.2020 को बंद कर दिया और प्रार्थीगण ने उसे पुनः खोलने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 6 से 11 ने बाधा कारित कर दी और प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि कांटो की बाड़ को हटाने का प्रयास किया तो गंभीर परिणाम हो सकते है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 नाबालिग है इस कारण उन्हे जरिये पिता पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थीगण के कृषि भूमि खसरा नम्बर 491, 492 में आने जाने हेतु व कृषि यंत्र ले जाने हेतु वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 474, 475, 489, 490 की भूमि में से जाने वाले भूमि का प्रार्थीगण डी.एल.सी.दर से जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है जिससे प्रार्थीगण उक्त 20 फीट रास्ते पर से अपने कृषि यंत्र उपज स्त्रोत अपनी भूमि पर आने जाने हेतु आ जा सके। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नजरी नक्शे में दर्शित प्रार्थीगण कि ग्राम भोजियावास की कृषि भूमि खसरा नम्बर 491, 492 में आने जाने हेतु वादग्रस्त ए.बी.सी. डी.ई.एफ. करीबी कच्चे रास्ते को खुलवाये जाने व 20 फुट रास्ता प्रार्थीगण को दिलाया जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 14 को प्रदान करावे। प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई.एफ.कच्चे रास्ते का राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेस) में विधि अनुसार इन्द्राज किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 14 को प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2021 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पवन प्रकाश कुमावत उपस्थित हुये तथा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02,03,04,05,09,10,11,12 की ओर से वकील श्री जहीर अहमद उपस्थित हुये। दिनांक 28.12.2021 को 02,03,04,05,09,10,11,12 की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। सहमति जवाब में उन्होने जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य अप्रार्थी संख्या 02,03,04,05,09,10,11,12 द्वारा स्वीकार है तथा श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे।

दिनांक 13.04.2022 को वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण संख्या 90/2021 अनुवान छगन कंवर व अन्य बनाम चन्द्रभान व अन्य के प्रकरण में पटवारी हल्का भोजियावास की ओर से एक तरफा मौका रिपोर्ट बाबत् प्रारम्भिक आपत्तियां तथा उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था फिर भी उक्त प्रकरण उक्त प्रकरण में पैरावाईज जवाब प्रस्तुत करने के हक एवं अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रारम्भिक आपत्तियां निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि प्रार्थीगण ने ग्राम भोजियावास के खसरा संख्या 492 की खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 475 में से रास्ता चाहा गया है। यहां पर यह भी निवेदन करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 13 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से जबरन रास्ता चाहने बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु सबसे नजदीकतम एवं सुगम् सुलभ गै०मु० रास्ता खसरा संख्या 632/497 उपलब्ध हैं। प्रार्थीगण ने जानबूझकर खसरा संख्या 632/497 गै० मु० रास्ते की भूमि से रास्ता चाहने

बाबत् आवेदन नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशिष्ट हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के अन्तर्गत दो तरह के विकल्प दिये गये है जो इस प्रकार है कि पक्षकार को रास्ते की आवश्यकती आत्यांतिक आवश्यकता होनी चाहिए और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थीगण के पास आने जाने हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 632/497 में से उपलब्ध है। तथा प्रार्थीगण प्रारम्भ से आज दिन तक खसरा संख्या 632/497 के रास्ते से ही आवगमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज हेरान व परेशान करने की मंशा से ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 475 की भूमि से रास्ता चाहने हेतु प्रस्तुत किया गया। जबकि प्रार्थीगण के पास लघुतम एवं निकटम वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के आधार पर प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से भी मार्ग दर्शन प्राप्त है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ता प्राप्त नही कर सकता है। तथा प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम होना चाहिए क्योकि विधिनुसार प्रार्थीगण स्वयं की सुविधा हेतु सुविधाजनक रास्ता की मांग नही कर सकता। इसलिए प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु प्रारम्भ से आज दिन तक खसरा संख्या 632/497 गै० मु०रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशिष्ट हर्जे–खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 04.10.2021 को पटवारी हल्का भोजियावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत तिलोनिया में बुलवाकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की मौका रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जिस पर अप्रार्थी ने पटवारी हल्का भोजियावास को निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु खसरा संख्या 632/497 में से रास्ता उपलब्ध है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को यह कहा कि मैं तो केवलमात्र प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की रिपोर्ट ही दूंगी। अन्य निकटतम रास्ते की रिपोर्ट नही बनाउंगी। इसलिए श्रीमान् से निवेदन है कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारों की उपस्थिति के बिना ही तथा मौके की भौतिक स्थिति का अवलोकन किय बिना केवल मात्र ऑफिस में बैठकर तैयार की गयी है। तथा उक्त मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया गया है। इसलिए उक्त मौका रिपोर्ट केवलमात्र प्रार्थीगण के कहे अनुसार ही तैयार की गयी होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बाबत् यह प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 चन्द्रभान की ओर से (श्रीमान् कैम्प प्रभारी महोदय, राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट/अटल सेवा केन्द्र, तिलोनिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर) के समक्ष उक्त प्रकरण संख्या 90/2021 अनुवान छगन कंवर व अन्य बनाम चन्द्रभान व अन्य के प्रकरण में पटवारी हल्का भोजियावास की ओर से एक तरफा मौका रिपोर्ट बाबत् प्रारम्भिक आपत्तियां तथा उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिन तक कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार कर प्रकरण का पैरावाईज जवाब प्रस्तुत करने के हक व अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का भोजियावास की ओर से प्रस्तुत एकतरफा मौका रिपोर्ट निरस्त फरमायी जावें तथा उक्त प्रकरण में निकटतम रास्ते के खातेदारों का पक्षकार नही बनाये जाने के आधार

पर प्रकरण प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 13.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 05.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 07 व 13 का नाम तर्क किया गया। दिनांक 25.01.2023 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तहसीलदार किशनगढ द्वारा जाहिर किया गया कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 490, 491 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 473, 474, 489, 490,475 में से रास्ता चाहा गया है जिसमें से खसरा संख्या 489 किस्म गै0मु. खड्डा है जबकि खसरा संख्या 473 में से 0.0360 हैक्टेयर, खसरा संख्या 474 में से 0.0240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 475 में से 0.0480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 490 में से 0.1080 हैक्टैयर भूमि रास्ते हेतु अधिग्रहित की जानी है। उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 06,01,576 रूपये प्रति हैक्टेयर है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 02.06.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 02,03,04,05,09,10,11,12 की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पर बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे एवं राजस्व नक्शे से जाहिर है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 490, 491 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 632/497 गै.मु. रास्ता से निकटतम रास्ता हेतु आवेदन किया जाना चाहिये था जबकि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु आवेदन खसरा संख्या केवल 474 में से चाहा गया है जबकि 473 के समस्त खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी ने केवल खसरा संख्या 473 एवं 489 में से ही रास्ता चाहा है जबकि मध्य में खसरा संख्या 473 स्थित है जो कि नजरी नक्शे में प्रार्थी द्वारा नही दर्शाया गया है साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निकटतम रास्ते हेतु पेश नही किया गया है जबकि खसरा संख्या 632/497 से ही निकटतम रास्ता दिया जाना संभव है। प्रार्थी द्वारा धारा 251(क) राज.को. अधि. 1955 के प्रावधान "निकटतम रास्ते हेतु आवेदन" का पालन नही किया गया है अर्थात प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता निकटतम नहीं है अत: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)